

(भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड -2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/07/2011-अ.भा.से.-1


भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 9 जून, 2011

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, सुश्री शिल्पा, भा.प्र. से. (प.बंगाल : 08) को, श्री अजय गुप्ता, भा.प्र.से. (मध्य प्रदेश : 09) के साथ विवाह होने के आधार पर, पश्चिम बंगाल संवर्ग से मध्य प्रदेश संवर्ग में एतद्वारा स्थानान्तरित करती है।


(नरेन्द्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23093063

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)